...ालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

...ासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

...ाद संख्या:– 110/प्रा0पत्र/2020

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण आ0 भवाना, जाति मीणा, निवासी बोरखण्डी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 17 ए राज0 उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परि0 क्षेत्र में भूमि आंवटन), नियम 1968

निर्णय दिनांक :– 29/10/2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आंवटन) नियम 1968 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री लक्ष्मण आ0 भवाना जाति मीणा निवासी बोरखण्डी को वाके ग्राम बोराखण्डी में दिनांक 30.12.1983 को खसरा नम्बर 1135/69 रकबा 4 बीघा भूमि आंवटन की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आवंटी/वारिसान के नाम गैर खातेदारी/लिजदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के उक्त भूमि पर आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त नही है। भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नही की है। आंवटन शर्तो का उल्लघंन हुआ है।

अतः आंवटन निरस्त करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आंवटन) नियम 1968 के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, परन्तु ना तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित रहा, ना ही कोई जवाब पेश किया गया है। जवाब प्रस्तुत नही करने पर अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाकर बहस प्रार्थी सुनी गई।

दौराने बहस प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा अप्रार्थी का आंवटित भूमि कब्जा नही होना व आंवटन शर्तो की पालना नही करना बताया जाकर आंवटित निरस्ती की कार्यवाही प्रस्तुत करना अवगत कराया। भूमि पर आंवटी लक्ष्मण आ0 भुवाना मीणा निवासी बोरखण्डी का कब्जा काश्त नही होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होना बताया है। आंवटी द्वारा उसकों आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त होकर काश्त करना आंवटन किये जानें की प्रमुख शर्त है जिसका आंवटी द्वारा पालन नही कर आंवटन शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अतः आंवटी लक्ष्मण आ0 भुवाना मीणा निवासी बोरखण्डी को ग्राम बोरखण्डी में दिनांक 30.12.1983 को खसरा संख्या 69 वर्तमान खसरा संख्या 1135/69 रकबा 4 बीघा का आंवटन निरस्त किया जावें।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद मनन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी आंवटी लक्ष्मण आ0 भुवाना मीणा निवासी बोरखण्डी को ग्राम बोरखंण्डी के खसरा संख्या 69 वर्तमान खसरा संख्या 1135/69 रकबा 4 बीघा का दिनांक 30.12.1983 को किया गया आंवटन निरस्त किया जाता है। भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली